31 विभागों की 546 सेवाएं सरकार ने आरटीएस एक्ट के तहत नोटिफाइड की
3 बार जुर्माना लगा तो अधिकारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा करेगा आयोग

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा- अधिक फीस लेने वाले सीएससी केंद्रों को तुरंत प्रभाव से रद्द करें

- **काम नहीं होने पर आवेदक की पैरवी ऑटो अपील सिस्टम करेगा**

भास्कर न्यूज | नारनौल

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को झंझट रहित तथा समयबद्ध सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिले। सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत हरियाणा के 31 विभागों की 546 प्रकार की सेवाएं सरकार ने नोटिफाइड की है। अगर अधिकारी निर्धारित समय पर काम नहीं करेंगे तो पहले उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उस अधिकारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा करेगा जिस पर सरकार को 30 दिन में निर्णय लेना होता है।

पंचायत भवन में हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत बुधवार अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए हरियाणा में अब ऑटो अपील सिस्टम यानी आस लागू किया गया है। अब किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा व योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसकी पैरवी अपने आप सिस्टम करेगा और उसके बाद भी अगर निर्धारित समय पर कार्य नहीं होता है तो उसकी अपील अपने आप एसडीएम, एडीसी तथा डीसी के पास होगी। इसके बाद भी निर्धारित समय पर काम नहीं होता है तो आयोग के समक्ष वह आवेदन अपने आप चला जाएगा। उसके बाद आयोग दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से आयोग हर कर्मचारी व अधिकारी पर नजर रखेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सेवाओं को देने का अपना नजरिया बदलें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी आवेदन बिना आवेदक से बात किए रिजेक्ट नहीं करना है। अधिकारी खुद कोशिश करें कि संबंधित के पास फोन करवा कर उसके कागजात पूरे करवाएं तथा समय पर उसको सेवा व योजना का लाभ दें।

आरटीएस के तहत बैठक लेते हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता।

हैप्पीनेस रेटिंग के तहत आम नागरिक देंगे अधिकारियों को नंबर

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि राज्य के लोगों को संतुष्टि पूर्ण सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार कई अहम कदम उठा रही है। अब पोर्टल पर कस्टमर रेटिंग की बजाय हैप्पीनेस रेटिंग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस रेटिंग के तहत सेवाएं व योजनाएं लेने वाले नागरिक के पास अधिकार है कि वह कुल पांच नंबर में से अधिकारियों को कितना नंबर देगा। इन अंकों से पता चल सकेगा कि लोग राज्य सरकार की सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को काम के साथ-साथ अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा ताकि आवेदक को खुश होकर 5 में से कम से कम चार नंबर अवश्य दें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर अब एक और बदलाव किया गया है। पहले हैप्पीनेस रेटिंग पूरे पीरियड की होती थी लेकिन अब अधिकारी के चार्ज लेने के बाद उसके कार्यकाल की हैप्पीनेस रेटिंग अलग होगी। इस नई व्यवस्था से अधिकारियों को अच्छे प्रकार से चिन्हित किया जा सकेगा। अच्छे अधिकारी को प्रशंसा पत्र तथा काम न करने वाले अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 नवंबर से पहले जिला महेंद्रगढ़ का स्कोर बोर्ड 9.5 से अधिक होना चाहिए। लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में मुख्य आयुक्त ने सभी नागरिक समूहों के साथ विस्तार के साथ चर्चा की तथा उनके सुझाव भी मांगे।

सभी कार्यालयों के बाहर लगेगा ऑनलाइन सेवाओं का ब्यौरा: उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों के बाहर ऑनलाइन सेवाओं का ब्यौरा तथा समय निर्धारित होना चाहिए। इसी प्रकार सभी सीएससी सेंटर पर भी फीस से संबंधित बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। कई जगह पर सीएससी केंद्र की ओर से अधिक फीस लेने की शिकायतें मिल रही है। ऐसे सीएससी केंद्रों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एक नवंबर से पहले-पहले सभी लंबित आवेदनों का निपटान होना चाहिए। उपायुक्त अजय कुमार ने आगंतुकों का स्वागत किया। नगराधीश अमित कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला के विभागों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। बैठक में एसपी चंद्रमोहन, एडीसी अनुराग ढालिया, डीएमसी डॉ. जेके आभीर समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।

भगा दो नहीं, बता दो का फॉर्मूला अपनाएं : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बैठक में कहा कि अब सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना रवैया बदलना होगा। अब भगा दो नहीं, बता दो के फार्मूले को अपनाएं। उन्होंने कहा कोई आवेदक अगर कार्यालय में आता है तो उसे भगाने की बजाय उसे अच्छी तरह से योजनाओं की जानकारी दें।